अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/627

1. बंशी लाल आत्मज किशना जी आयु 60 वर्ष जाति मेघवाल निवासी काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. सोहन लाल आत्मज किशना जी आयु 57 वर्ष जाति मेघवाल निवासी काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज बजरंग लाल जी जाति मेघवाल निवासी काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. प्रदीप कुमार आत्मज गोपीलाल
3. ललित कुमार आत्मज गोपीलाल
4. सुनीता पुत्री गोपीलाल
5. पिंकी पुत्री गोपीलाल
6. सूरजा बाई पुत्री गोपीलाल
7. मांगीलाल आत्मज केसरा
8. भैरूलाल आत्मज किशना
9. बबूलाल आत्मज किशना
10. रामप्रसाद आत्मज किशना
11. मोहन लाल आत्मज किशना मृतक जरिये कायमुकामान :–
    - 11/1. महेन्द्र कुमार आत्मज मोहन लाल
    - 11/2. दीपक कुमार आत्मज मोहन लाल ।
    - 11/3. मुकुट बिहारी आत्मज मोहन लाल
    - 11/4. रानी बाई पुत्री मोहन लाल
    - 11/5. शांतिबाई बेवा मोहन लाल
12. धन्नी बाई पुत्री किशना ।
13. पुष्पा बाई पुत्री किशना
14. शकुन्तला पुत्री किशना
15. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
16. बाबूलाल आत्मज मथुरा लाल जाति बैरवा निवीस बसन्त बिहार, कोटा ।
17. बेवी बाई उर्फ राजेश्वरी तंवर जाति खंगार निवासी बसंत बिहार, कोटा ।

——प्रत्यर्थी

नाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2014 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 22/दावा/2010

बाबूलाल आत्मज बजरंग लाल जी जाति मेघवाल निवासी काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. प्रदीप कुमार आत्मज गोपीलाल
2. ललित कुमार आत्मज गोपीलाल
3. सुनीता पुत्री गोपीलाल
4. पिंकी पुत्री गोपीलाल
5. सूरजा बाई पुत्री गोपीलाल
6. मांगीलाल आत्मज केसरा
7. घींसी बाई पुत्री केसरा (विलोपित)
8. गिर्राज बाई पुत्री केसरा (विलोपित)
9. भैरूलाल आत्मज किशना
10. बाबूलाल आत्मज किशना
11. रामप्रसाद आत्मज किशना
12. प्रभूलाल आत्मज किशना (विलोपित)
13. बंशीलाल आत्मज किशना
14. सोहन लाल आत्मज किशना ।
15. मोहन लाल आत्मज किशना मृतक जरिये कायमुकामान :–
    - 15/1. महेन्द्र कुमार आत्मज मोहन लाल
    - 15/2. दीपक कुमार आत्मज मोहन लाल ।
    - 15/3. मुकुट बिहारी आत्मज मोहन लाल
    - 15/4. रानी बाई पुत्री मोहन लाल
    - 15/5. शांतिबाई बेवा मोहन लाल
16. धन्नी बाई पुत्री किशना ।
17. पुष्पा बाई पुत्री किशना
18. शकुन्तला पुत्री किशना
19. ग्यारसी बाई बेवा किशना (विलोपित)
20. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
21. बाबूलाल आत्मज मथुरा लाल जाति बैरवा निवीस बसन्त बिहार, कोटा ।
22. बेवी बाई उर्फ राजेश्वरी तंवर जाति खंगार निवासी बसंत बिहार, कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2014 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 25.01.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री बलवीर स्वरूप भटनागर एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से अभिभाषक श्री सुधीन्द्र यादव, रेस्पोडेन्ट कम 3 व 7 की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं अन्य रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामकिशन वर्मा, श्री ओम प्रकाश प्रजापति के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट राजीनामे के आधार पर पारित डिक्री के विरूद्ध मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अपीलान्टगण यदि राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय डिक्री से पैरा संख्या 12 में किये गये विवेचन के अनुसार कोई आपत्ति रखते हैं तो वो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 25.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

25.1.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/627

1. बंशी लाल आत्मज किशना जी आयु 60 वर्ष जाति मेघवाल निवासी काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. सोहन लाल आत्मज किशना जी आयु 57 वर्ष जाति मेघवाल निवासी काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज बजरंग लाल जी जाति मेघवाल निवासी काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. प्रदीप कुमार आत्मज गोपीलाल
3. ललित कुमार आत्मज गोपीलाल
4. सुनीता पुत्री गोपीलाल
5. पिंकी पुत्री गोपीलाल
6. सूरजा बाई पुत्री गोपीलाल
7. मांगीलाल आत्मज केसरा
8. भैरूलाल आत्मज किशना
9. बबूलाल आत्मज किशना
10. रामप्रसाद आत्मज किशना
11. मोहन लाल आत्मज किशना मृतक जरिये कायमुकामान :—
    - 11/1. महेन्द्र कुमार आत्मज मोहन लाल
    - 11/2. दीपक कुमार आत्मज मोहन लाल ।
    - 11/3. मुकुट बिहारी आत्मज मोहन लाल
    - 11/4. रानी बाई पुत्री मोहन लाल
    - 11/5. शांतिबाई बेवा मोहन लाल
12. धन्नी बाई पुत्री किशना ।
13. पुष्पा बाई पुत्री किशना
14. शकुन्तला पुत्री किशना
15. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
16. बाबूलाल आत्मज मथुरा लाल जाति बैरवा निवीस बसन्त बिहार, कोटा ।
17. बेवी बाई उर्फ राजेश्वरी तंवर जाति खंगार निवासी बसंत बिहार, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री बलवीर स्वरूप भटनागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सुधीन्द्र यादव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 3, 7 की ओर से।
3. श्री रामकिशन वर्मा, श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषकगण रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 25.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रंगतलाब उर्फ काला तलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 313 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 361 की 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 438 की 2.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 440 की 0.99 हैक्टर कुल 4.88 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 19 के शामलाती खाते में दर्ज है । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 1 से 5 का 1/12 व प्रतिवादी क्रम 6 से 8 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 09 से 19 का 1/3 हिस्सा है । प्रतिवादी क्रम 1 से 8 को मृतक केसरा की 1/3 हिस्से की भूमि प्राप्त हुई । पूर्व में खातेदार केसरा व प्रतिवादीगण तथा वादी के मध्य उक्त भूमि को लेकर मौखिक रूप से विभाजन हो गया था जिसके अनुसार वादी के कब्जे व हिस्से में खसरा नम्बर 438 की 2.38 हैक्टर में से 1.62 हैक्टर भूमि जो 1/3 हिस्से के बराबर है । वादी उक्त भूमि पर पूर्व में हुए विभाजन अनुसार काश्त करता चला आ रहा है जो वादी के 1/3 हिस्से के बराबर की भूमि है । शेष भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की भूमि व कब्जे की भूमि में से कुछ भूमि विक्रय भी कर दी है । प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि प्रतिवादीगण वादी की 1/3 हिस्से की आराजी को काश्त करने में व्यवधान पैदा करे तथा वादी के कब्जे की भूमि को खुर्द–बुर्द करे ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में हुए विभाजन के अनुसार खसरा नम्बरा 438 की 1.62 हैक्टर भूमि उत्तरी ओर की वादी के हिस्से में आई व वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है । इस कारण उक्त भूमि विभाजन में वादी को दी जावे व इसी अनुसार विभाजन किया जावे । खसरा नम्बर 438 की 1.62 हैक्टर भूमि वादी के अलग खाते दर्ज किये जाने व लगान राज कायम किये जाने का आदेश पारित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के 1/3 हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे और उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

4. तत्पश्चात् पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.03.2014 को लिखित में राजीनामा पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामा को स्वीकार किया गया और दिनांक 11.04.2014 को डिक्री जारी की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2014 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 13 व 14 अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 09, 11, 13, 14, 15/1 से 15/5, 16, 17, 18 की ओर से जरिये मुख्तारनामा प्रतिवादी क्रम 10 के वकील साहब का वकालतनामा

प्रस्तुत किया गया एवं साथ में राजीनामा भी पेश किया गया । वादी बाबूलाल एवं प्रतिवादी क्रम 10 बाबूलाल की मिली भगत से यह कार्यवाही की गई है । पक्षकारों को इस राजीनमा की कोई जानकारी नहीं थी उसने न तो कोई अपना मुख्तारआम नियुक्त किया है और न ही उसने न्यायालय में अपना राजीनामा ही प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.04.2014 के प्रतिवादी क्रम 7, 9, 12 एवं 19 के नाम डिलीट किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । इसी दिनांक को प्रतिवादी क्रम 15 का देहान्त हो जाने से उसके कायम मुकामान एवं अबेटमेंट सेट असाइड का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । इसी दिनांक को दो प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 18 को पक्षकार बनाया । इसी दिनांक को संशोधित टाइटल स्वीकार किया गया तथा इसी दिन राजीनामा स्वीकार कर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । राजीनामा पर केवल वादी बाबूलाल व प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 10 बाबूलाल ने मुख्तारआम की हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं जबकि मुख्य पक्षकारान को इस राजीनामे की जानकारी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2014 निरस्त फरमायी जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.10.2017 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि-- विरूद्ध है । दावा धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया था और आदेशिका दिनांक 31.03.2014 के अनुसार वादी क्रम 1 और प्रतिवादी क्रम 7 घींसीबाई प्रतिवादी क्रम 8 गिरिराज बाई, प्रतिवादी क्रम 12 प्रभूलाल, प्रतिवादी क्रम 19 ग्यारसी बाई का नाम डिलीट किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जिन पर वकील प्रतिवादीगण के द्वारा नो ऑब्जेक्शन किया जाकर हस्ताक्षर किये । प्रतिवादी क्रम 15 मोहन लाल का देहान्त हो जाने से उसके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेने एवं सेट असाईड किये जाने, अबैटमेंट का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं धारा 151 सीपीसी में पेश किया जिस पर भी वकील प्रतिवादीगण द्वारा नो आब्जेक्शन किया गया । दौराने वाद प्रकरण में बेबी बाईउर्फ राजेश्वरी एवं बाबूलाल आत्मज मथुरा लाल को प्रतिवादीगण द्वारा पक्षकार बनाये जाने हेतु आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा साथ ही साथ उनके वकालतनामे भी प्रस्तुत किये गये जिन पर वकील वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा नो–आब्जेक्शन किया था । वकील वादी द्वारा संशोधित टाइटल प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी क्रम 09, 11, 13, 14, 15/1 से 15/5, 16, 17 एवं 18 की ओर से जरिये मुख्तारनामा प्रतिवादी क्रम 10 के वकील साहब का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया और राजीनामा भी पेश किया गया । जिससे स्पष्ट है कि वादी बाबूलाल एवं

प्रतिवादी क्रम 10 बाबूलाल की मिली भगत से यह कार्यवाही गई गई है । उक्त प्रकरण से सम्बन्धित पक्षकारों को इस राजीनामा का कोई ज्ञान नहीं है । उनके द्वारा न तो कोई अपना मुख्तारआम नियुक्त किया है और ही न्यायालय में कोई राजीनामा ही प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर विधि–विरूद्ध निर्णय एंव डिक्री पारित की है । राजीनामा पर वादी बाबू लाल एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 10 बाबूलाल आत्मज किशना के ही हस्ताक्षर हैं शेष रेस्पोडेन्ट के बाबूलाल ने मुख्तार आम की हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं । जबकि मुख्य पक्षकारान को इस राजीनामे की कोई जानकारी नहीं है । इन दोनों व्यक्तियों ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करके राजीनामा प्रस्तुत किया है । पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2014 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरएलडब्ल्यू 2016 (1) पेज 572 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्टगण क्रम 3, 7, 8 व 10, 13 14 11/1 से 11/5, 12, 094, 5, 11 15, 16 व 17 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट के रेस्पोडेन्ट क्रम 09 मुख्तारआम थे और मुख्तारनामा निरस्त नहीं किया गया था । राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय की अपील नहीं की जा सकती । अपीलान्ट गण द्वारा दिनांक 31.10.2011 को पॉवर आफ अटॉर्नी दी गई है । वर्ष 2014 में राजीनामा पेश हुआ है । अपीलान्टगण की जानकारी में सम्पूर्ण तथ्य थे। पॉवर आफ अटॉर्नी फर्जी होने का कोई भी कथन अपील मीमो में नहीं किया गया है, कोई फौजदारी की कार्यवाही नहीं की गई है । मौके पर वर्तमान में क्रेता काबिज है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2014 बहाल रखा जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शमिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य सम्पूर्ण आराजी का मौखिक रूप से विभाजन हो गया था जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को खसरा नम्बर 438 की रकबा 2.38 हैक्टर में से 1.62 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई । रेस्पोडेन्ट क्रम 15 को छोडकर शेष रेस्पोडेन्ट व अपीलान्ट द्वारा स्वयं के कब्जे की भूमि में से कुछ भूमि प्लाट काटकर बेचान कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा से विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । अपीलान्टगण की ओर से बाबूलाल आत्मज किशन लाल ने मुख्तारआम की हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं । राजीनामा तस्दीक करवाया है पावर आफ अटॉर्नी को चैलेंज नहीं किया गया है न ही अपीलान्ट द्वारा किसी भी न्यायालय में आज तक निरस्त कराने हेतु कार्यवाही की गई है । अपीलान्ट ने अपील में भी उक्त पॉवर आफ अटॉर्नी को अपीलान्ट द्वारा कूट रचित या फर्जी नहीं बताया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2014 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.10.2017 को होना बताया है जबकि प्रारम्भ से ही उनको जानकारी है । राजीनामा के आधार पर पृथक–पृथक खाते कायम किये गये हैं उसके 03 वर्ष बाद अपील पेश की गई है जो मियाद बाहर है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2014 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अपीलान्ट क्रम 1 और 02 अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 13 और 14 हैं उसके मुख्तारआम प्रतिवादी क्रम 10 बाबूलाल आत्मज किशना को दर्शाया गया है । दावा वादी बाबू लाल आत्मज बजरंग लाल द्वारा पेश किया गया है । एक मुख्तारनामा जो कि दिनांक 03.11.2011 को निष्पादित किया जाना अंकित है की फोटो प्रति संलग्न है । यह मुख्तारनामा बंशीलाल, सोहनलाल, भैरूलाल एवं रामप्रसाद पुत्र किशन लाल के द्वारा बाबूलाल आत्मज किशन लाल के पक्ष में निष्पादित कर उसे अपना मुख्तारआम नियुक्त किया है । इस मुख्तारनामे के आधार पर बाबूलाल के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण की ओर से राजीनामा पेश किया है जिसे न्यायालय ने तस्दीक करके दावा बरूए राजीनामा डिक्री किया है । अपीलान्टगण ने मुख्य आपत्ति यह कि है कि उनके द्वारा कोई मुख्तारआम नियुक्त नहीं किया गया है और कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक मुख्तारनामे की प्रति संलग्न है जिसमें कि भैरू, रामप्रसाद, बंशीलाल व सोहन लाल के द्वारा बाबू लाल पुत्र किशन लाल को मुख्तारआम नियुक्त किया गया है और बाबूलाल ने अपीलान्ट के मुख्तारआम की हैसियत से हस्ताक्षर कर राजीनामा पेश किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने तस्दीक कर दावे का निस्तारण बरूए राजीनामा किया है । राजीनामे के आधार पर पारित डिक्री की अपील मेन्टेनेबल नहीं होती है । यदि अपीलान्ट यह महसूस करते हैं कि उनके द्वारा बाबूलाल आत्मज किशन लाल के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित नहीं किया है एवं मुख्तारनामा कूट रचित है तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने व अन्य विधिक एंव फौजदारी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है परन्तु राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय के विरूद्ध अपील मेन्टेनेबल नहीं होने के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट राजीनामे के आधार पर पारित डिक्री के विरूद्ध मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अपीलान्टगण यदि राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय डिक्री से पैरा संख्या 12 में किये गये विवेचन के अनुसार कोई आपत्ति रखते हैं तो वो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

14. निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25-1-19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा